कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 342 / 2022 निर्णय दिनांक :–29.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

नोरतमल पुत्र स्व. श्री भूरालाल जाति धोबी उम्र 62 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसी देवली जिला टोंक (राज.) **–प्रार्थी–**

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोक (राज.) **–अप्रार्थी–**

उपस्थितः–
श्री सागर चौहान **तहसीलदार देवली**
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 राज0 एक्ट बाबत किये जाने पत्थरगढी लेण्ड रेवेन्यू

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पूर्वजो की क्रयशुदा कब्जे काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 935 खसरा नम्बर 750 रकबा 0.36 है0 जो वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी खरीदशुदा कब्जे–काश्त की भूमि है, जिस पर प्रार्थी अपने पूर्व जो के समय से काबिज–काश्तकार है तथा उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के खेत के पड़ौसियों ने नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा हैं तथा सीमा ज्ञान के चिन्हों को धीरे– धीरे अपने खेत में मिलाना चाह रहे हैं। इस कारण से प्रार्थी अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। ताकि प्रार्थी के हिस्से की आराजी के पडौसी प्रार्थी की भूमि को अपने खेतों में नहीं मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थी जब भी अपने हिस्से की भूमि पर जाता है तो उसे वहां पर सीमा चिन्ह नहीं मिलते हैं। वर्तमान में खेत खाली है। इसलिए अभी खेत की पत्थरगढ़ी की जाती हैं तो आने वाले समय में जब फसल काश्त होगी तो कोई विवाद पैदा नहीं होगा और प्रार्थी मुकदमाबाजी से बच जायेगा। अप्रार्थी तहसीलदार तहसील देवली जिला–टोंक लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। इसलिए अप्रार्थी को उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश न्यायहित में प्रदान करे। प्रार्थी की कृषि भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार श्रीमान् को प्राप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व अंदर मियाद पेश किया जा रहा हैं। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की

पत्थरगढ़ी करवाने के लिए नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की हाल खाता संख्या 935 खसरा नम्बर 750 रकबा 0.36 है. जो वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है. की पत्थरगढी किये जाने के आदेश श्रीमान् तहसीलदार देचली को दिये जाकर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाई जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:– उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज नही होकर मन्दिर श्री चारभुजा के नाम दर्ज है परन्तु कब्जा काश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदार से सीमा विवाद है। आवेदक द्वारा पड़ोसी खातेदारो से सीमाविवाद है। आवेदक द्वारा पड़ोसी खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आराजी न्यायालय का स्थगन नहीं है। आवेदकगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित सरकारी भूमि नहीं है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं करवाया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार ने बहस में जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली के ख. नं. 750 मन्दिर श्री चारभुजा जी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मन्दिर मन्दि चारभुजा शाश्वत नाबालिग मूर्ति है। प्रार्थी ने किस हैसियत से प्रार्थना पत्र किया है, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी मन्दिर की भूमि नियमानुसार पत्थरगढी का अधिकार नहीं रखता है।

आदेश

प्रार्थी मन्दिर की भूमि पर नियमानुसार अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2074–77 भूमि खाता संख्या 935 खसरा नम्बर 750 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक की भूमि का सीमाज्ञान करे। यदि विवादित आराजी पर अतिक्रमण पाया जावे तो नियमानुसार अतिक्रमित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लावे।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 29.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली